# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 71(ए) के अन्तर्गत

भू–वापसी वाद संख्या– 14/2019–20

श्रीमती बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा........................ वादी।

———बनाम———

श्री शशिभुषण भारती, पिता– राम किशोर भारती एवं 01 अन्य .................... प्रतिवादी।

| क्रमांक /तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गयी कारवाई |
|---|---|---|
| 29.08.24 | | Issued c/c of final order vide 294 dt. 02/01/25. |

आवेदिका बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा, ग्राम– रूआशोल, थाना– धालभूमगढ़, जिला– पूर्वी सिंहभूम की ओर से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत विहित आवेदन पत्र दाखिल करते हुए भू–वापसी का अनुरोध किया गया। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से विहित आवेदन के आधार पर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक– 813, दिनांक– 31.10.2019 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सन्निहित भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :–

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| रूआशोल | 175 | 18 | 118 | 2.50 ए0 |
| | | | 285 | 1.53 ए0 |
| | | | 129 | 0.06 ए0 |
| | | | 128 | 0.20 ए0 |
| | | 19 | 114 | 0.84 ए0 |
| | | | 119 | 0.37 ए0 |
| | | 20 | 317 | 0.30 ए0 |
| | | 21 | 130 | 0.12 ए0 |
| | | | 131 | 0.16 ए0 |
| | | | 132 | 0.19 ए0 |
| | | | 133 | 1.19 ए0 |
| | | | 284 | 0.89 ए0 |
| | | | 316 | 0.43 ए0 |
| | | कुल रकवा | | 8.78 ए0 |

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद प्रारंभ करते हुए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71(ए) के तहत (प्रथम पक्ष) आवेदिका बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा, ग्राम– रूआशोल, थाना– धालभूमगढ़, जिला– पूर्वी सिंहभूम एवं प्रतिवादी 01. श्री शशिभुषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती, पता– 30 ए, बालिगुमा, बागान एरिया, थाना– एम0जी0एम0 टाउन, जमशेदपुर, जिला– पूर्वी सिंहभूम एवं 02. श्री गुरूपद साहा, पिता– स्व0 भीम चन्द्र साहा, पता– हाउस नं0– 216, नरसिहंगढ़, थाना– धालभूमगढ़, जिला–

पूर्वी सिंहभूम को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

जिसके आलोक में उभय पक्ष की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दाखिल करते हुए अपना–अपना पक्ष रखा गया। दिनांक– 20.08.2019 को प्रथम पक्ष की ओर से Humble Petition एवं दिनांक– 18.06.2024 को द्वितीय पक्ष की ओर से Show Cause/Written Argument दाखिल की गयी।

**अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिपेदन :–**

अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक– 813, दिनांक– 31.10.2019 के माध्यम भू–वापसी की कार्रवाई की अनुशंसा के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित की गयी है प्राप्त प्रतिवेदनानुसार :–

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| रूआशोल | 175 | 18 | 118 | 2.50 ए0 |
| | | | 285 | 1.53 ए0 |
| | | | 129 | 0.06 ए0 |
| | | | 128 | 0.20 ए0 |
| | | 19 | 114 | 0.84 ए0 |
| | | | 119 | 0.37 ए0 |
| | | 20 | 317 | 0.30 ए0 |
| | | 21 | 130 | 0.12 ए0 |
| | | | 131 | 0.16 ए0 |
| | | | 132 | 0.19 ए0 |
| | | | 133 | 1.19 ए0 |
| | | | 284 | 0.89 ए0 |
| | | | 316 | 0.43 ए0 |
| | | | कुल रकवा | **8.78 ए0** |

1. **खतियानी रैयत का नाम :–** गुरूपद साहा, पिता– भीम साहा।
2. **पंजी के रैयत के नाम :–** 01. गुरूपद साहा, पिता– भीम साहा, 02. शशिभुषण भारती, पिता– राम किशोर भारती।
3. **अभी किसका दखल है :–** पंजी– II रैयत।
4. **दखल की अवधि :–** 1964 सर्वे से एवं 01 वर्ष से।
5. **हस्तान्तरण वैधिक है :–** –
6. **क्या जमीन पर कोई मकान है। यदि है तो किस वर्ष से एवं उसका अनुमानित मूल्य क्या है :–** नहीं।
7. **कर्मचारी की अनुशंसा :–** हाल सर्वे 1964 के अनुसार मौजा– रूआशोल, थाना नं0– 175, खाता सं0– 18, 19, 20 एवं 21 गुरूपद साहा, पिता– भीम साहा के नाम से दर्ज है। शशिभुषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती ने मूल खातादार से खरीद कर अपना नाम से नामान्तरण कराया है। आवेदिका द्वारा दावा संबंधी कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे पता चले कि यह भूमि उनके नाम से था।
8. **अंचल निरीक्षक की अनुशंसा :–** कर्मचारी के अनुशंसा के अनुसार अग्रसारित है।
9. **अंचल अधिकारी की अनुशंसा :–** जमीन वापसी की अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

**आवेदक की ओर से दिनांक– 20.08.2019 को Humble Petition दाखिल की गयी :–**

1. That, the applicant is a permanent resident of vill.- Ruashol, P.S.-

Nup

Dhalbhumgarh, Dist. East Singhbhum, Jharkhand, under the jurisdiction of this court.

2. That, the applicant belongs to S.T. by caste, & her Sub-caste is Munda,
3. That, originally the schedule below landed properties were belonged to the ancestors of the applicant but the O.P. member no.-2, namely-Gurupada Saha had got transferred the schedule below landed properties in his name fraudulently & there-after he has transferred the schedule below landed properties in favour of O.P. no.-1, through regd. deed of sale no.-249, dated-8-2-19,
4. That, after purchasing the schedule below landed properties the O.P. No.-1, had filed an application in the office of the C.O. Dhalbhumgarh the C.O. Dhalbhumgarh has rejected the mutation application of the O.P. no.-1, on dated- 5/4/2019.
5. That, at present the O.P. no.-1. has been coming in possession over the schedule below landed properties illegally & fraudulently.
6. That, the ancestors of the applicant have not transferred the schedule below landed properties to anybody during their life-time, & the applicant also has not transferred the schedule below landed properties in favour of Gurupada Saha at any time or at anywhere but inspite of that Gurupada Saha has got transferred the schedule below landed properties in his name, in the last survey settlement & also has transferred in the name of O.P. no.-1.
7. That, in U/S-46 C.N.T. act it is clearly mentioned that a person who belongs to S.T. by caste he can tran- sfer the land in favour of any other S.T. person under same P.S. taking the permission from the L.R.D.C./D.C.
8. That, so that the schedule below landed properties have not been transferred in U/S-46 C.N.T. Act. henee it should be restored in favour of the applicant U/S- 71 (A) C.N.T. Act.

<u>द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक– 18.06.2024 को **Show Cause/Written Argument** दाखिल की गयी :–</u>

1. That the present proceeding is not maintainable against the answering Opp. Parties members under the point of Law and on the facts of this Case and liable to be dismissed.
2. That the proceeded lands involved in this proceeding, situated in Mouza-Ruasole, Rev Thana No. 175, khata No. 18, Plot No. 118, 285,129,128 having area 2.50 Acres, 1.53 Acres, 0.06 Acres, 0.20 Acres, respectively and under Thana No. 19, plot No. 114, 119 having area respectively of 0.84 Acres and 0.37 Acres and under khata No. 20, plot No. 317 having area 0.30 Acres and under Khata No. 21, plot No. 130, 131, 132, 133, 284, 316 having area respectively of 0.12 Acres, 0.16 Acres, 0.19 Acres, 1.19 Acres, 0.89 Acres, 0.63Acres stands recorded in the Final Survey settlement report of 1964 in the name of Late Guru Pada Saha, father of Opp-party No. 1 (Swapan Kumar saha), who was absolute owner in possession of the proceeded lands involved in this proceeding and continued possession till his life time and after his death, his son being his legal heir and successor came in possession. During

the life time of Gurupada Saha and in remaining in possession as absolute owner there of, he validly sold a portion of lands under thata No. 18, of Mouza- Ruasole, having area of 12.64 Acres, under Khata No. 19, plot No. 114 and 119 having area 1.21 Acres, and under khata No.20, plot No. 317 having area 0.30 Acres, and under khata No. 21, having area 3.21 Acres. Grand Total area 17.36 Acres vide Regd. sale Deed No.- 249, of dt. 8-2-2019 to Shashi Bhushan Bharti Opp. party No. 2 and the purchased lands was duly mutated in the Office of C.O. Dhalbhumgarh and rents were also paid to the state of Jharkhand upto date in the name of Shashi Bhushan Bharti (Opp. party No. 2) and he is possession of his purchased land till now.

3. That in the On-Line records maintained by Govt. of Jharkhand, the proceeded lands situated under Mouza- Ruasole, Thans No. 175, under Khata No. 18,19,20 and 21 the name of Gurupada Saha is mentioned and rents also paid to the state of Jharkhand in the name of Gurupada saha over the said Khatas so it is Crystal proves that Gurupada Saha, S/O Late Bhim Chandra saha is the absolute owner-in-possession of the proceeded lands and Khatiani Raiyat of 1964 which is also proved from the enquiry report submitted in this Case by Circle Officer Dhalbhumgarh.
4. That this Case is barred by limitation.
5. That there is no contravention of section 46 of the C.N.T. Act and 71 A of the schedule Area Regulation Act 1969 not attracted and therefore the present R.P. Case filled by the applicant deserve to be dismissed.
6. That the present Case is devoid of any merits and liable to be dismissed.

द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक– 06.072024 को **List of Documents** के रूप में निम्नांकित क्रमशः कागजात प्रस्तुत किया गया है: –

i. **Photocopy of the khatiyan of Mouza- Roushole survey Thana no. – 175, of Khata No.- 18, 19, 20 & 21 stands recorded in the same of Gurupad Saha, s/o- Bhim Saha.**
ii. **Photocopy of the online Generated copies of khatian of Mouza- Ruashole survey Thana No. 175, Khata No.- 18, 19, 20 & 21 stands recorded in the name of Gurupada Saha, S/o- Bhim Saha which have govt of Jharkhand.**

**निष्कर्ष** :– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुना तथा अभिलेखबद्ध कागजातों तथा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा– रूआशोल, थाना नं0– 175 :–

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| रूआशोल | 175 | 18 | 118 | 2.50 ए0 |
| | | | 285 | 1.53 ए0 |
| | | | 129 | 0.06 ए0 |
| | | | 128 | 0.20 ए0 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 114 | 0.84 ए0 |
| | 119 | 0.37 ए0 |
| 20 | 317 | 0.30 ए0 |
| 21 | 130 | 0.12 ए0 |
| | 131 | 0.16 ए0 |
| | 132 | 0.19 ए0 |
| | 133 | 1.19 ए0 |
| | 284 | 0.89 ए0 |
| | 316 | 0.43 ए0 |
| | **कुल रकवा** | **8.78 ए0** |

हाल सर्वे 1964 के अनुसार मौजा– रूआशोल, थाना नं0– 175, खाता सं0– 18, 19, 20 एवं 21 गुरूपद साहा, पिता– भीम साहा के नाम से दर्ज है। शशिभुषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती ने मूल खातादार से खरीद कर अपना नाम से नामान्तरण कराया है। द्वितीय पक्ष द्वारा दावा संबंधी कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे पता चले कि यह भूमि उनके नाम से था। आवेदक द्वारा भू–वापसी हेतु दावा की गई भूमि, विपक्षी के नाम से दर्ज जमाबंदी भूमि से कोई संबंध नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों एवं उभय पक्ष के द्वारा समर्पित **Humble Petition and Show Cause/Written Argument** के साथ–साथ **List of Documents** तथा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के प्रतिवेदन को अवलोकन के उपरान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुँची है कि प्रश्नगत भूमि मौजा– रूआशोल, थाना नं0– 175, खाता सं0– 18, प्लॉट नं0– 118, 285, 129, 128, रकवा क्रमशः– 2.50 ए0, 1.53 ए0, 0.06 ए0, 0.20 ए0, खाता सं0– 19, प्लॉट नं0– 114 एवं 119, रकवा क्रमशः– 0.84 ए0 एवं 0.37, खाता सं0– 20, प्लॉट नं0– 317, रकवा– 0.30 ए0, खाता सं0– 21, प्लॉट नं0– 130, 131, 132, 133, 284 एवं 316, रकवा क्रमशः– 0.12, 0.16, 0.19, 1.19, 0.89 एवं 0.43 कुल रकवा– 8.78 ए0 द्वितीय पक्ष 01. श्री शशिभुषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती, पता– 30 ए, बालिदुमा, बागान एरिया, थाना– एम0जी0एम0 टाउन, जमशेदपुर, जिला– पूर्वी सिंहभूम एवं 02. श्री गुरूपद साहा, पिता– स्व0 भीम चन्द्र साहा, पता– हाउस नं0– 216, नरसिंहगढ़, थाना– धालभूमगढ़, जिला– पूर्वी सिंहभूम ने मूल खातेदार गुरूपद साहा, पिता– भीम साहा से क्रय करने के उपरान्त नामान्तरण करते हुए प्रश्नगत भूमि पर दखल में है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भू–वापसी वाद में प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज (Reject) किया जाता है।

इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में शरण ले सकते हैं।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज पारित किया गया।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.01.02 13:46:16 +05:30
Location: 192.168.1.33

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।

29.08.21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।